

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जनवरी 2022—पौष 21, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र. एफ ए 3-20-2021-1-पांच (04).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2002 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच (69) दिनांक 16 अगस्त, 2010 के अधिक्रमण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह उपबंध करती है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन व्यापारी द्वारा प्ररूप 6 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.mp.gov.in) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा.

2. व्यापारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का आवेदन मध्यप्रदेश वेट नियम, 2002 के नियम 11-क के अधीन केवल इलेक्ट्रॉनिक रीति से आज्ञापक रूप में फाईल किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र. एफ ए 3-20-2021-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2021-1-पांच (04), दिनांक 11 जनवरी, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 11th January 2022

No. F A 3-20-2021-1-V(04).—In exercise of the powers conferred by rule 11-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2002 and in supersession of this department's notification No. F-A-3-14-2010-1-V (69) dated 16th August, 2010, the State Government, hereby, provides that an application for grant of registration certificate under section 17 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) shall be furnished by a dealer electronically in Form-6 through the official web portal of the department (www.mptax.mp.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. The application of certificate of registration by a dealer shall mandatorily be filed electronically only under rule 11-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2002.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Principal Secy.